



समता आनंदोलन समिति (रज.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-३, संगम रेजीडेंसी, प्लाट नं. ९-१०, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द्र जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. ०९८२९०-७८६८२

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. ०९४१३३-८९६६५

विमल चौराड़िया
महासचिव, मो. ०९४१४०-५८२८९

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. ०९४१४०-९५३६८

**प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-**

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. ९६९४३४८०३९

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. ९४१४००८४१६

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. ९४१४१३९६२१

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. ९४६०९२६८५०

जोधपुर
प्रह्लाद सिंह राठौड़
मो. ९४१४०८५४४७

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. ९४१४६६२२४४

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. ९५७१८७५४८८

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

क्रमांक ५६६४७

दिनांक :

15.07.2019

श्रीमान् (डा.) रमेश पोखरियाल 'निशंक'
माननीय मंत्री महोदय, भारत सरकार,
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-११०००१

विषय:- राजस्थान राज्य में NEET-2019 में 38 प्रतिशत से अधिक दिये गये आरक्षण पर रोक लगाये जाने बाबत।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह बाध्यकारी निर्देश बार-बार दिये गये हैं कि सभी तरह का आरक्षण मिलाकर किसी भी सूरत में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये। कृपया NEET-2019 में राजस्थान राज्य की तथ्यात्मक स्थिति का अवलोकन करें-

- (1) राजस्थान राज्य में सरकारी एवं सोसायटी कॉलेजों को मिलाकर कुल 2600 एम.बी.बी.एस. सीट में से 15 प्रतिशत केन्द्रीय कोटा घटाने के बाद 2210 सीटें बचती हैं। इनमें से अनारक्षित सीटें (फी एवं पेमेन्ट मिलाकर) केवल 776 बचती हैं। जो कुल 2210 सीटों का 35.11 प्रतिशत है। प्रकटतः अनारक्षित सीटे 50 प्रतिशत से लगभग 15 प्रतिशत कम हैं। जो अविधिक एवं असंवैधानिक होने के साथ-साथ न्यायपालिका की अवमानना भी है।
- (2) वर्ष 2018 में राजस्थान राज्य में कुल 1950 सीटें थीं, जिसमें से केन्द्रीय कोटा 15 प्रतिशत घटाने के बाद 1703 सीटें राज्य के पास थीं। इनमें से 770 सीटें (45.21 प्रतिशत) अनारक्षित रखी गयी थीं। चालू वर्ष 2019 में राज्य की कुल 2600 सीटों में से केन्द्रीय कोटा 390 सीटें घटाने के बाद 2210 सीटें बचती हैं। इनमें से अनारक्षित सीटें केवल 776 छोड़ी गयी हैं। विचित्र बात ये हैं कि चालू वर्ष में 507 सीटें (2210-1703) बढ़ाये जाने के बावजूद भी अनारक्षित सीटें 45.21 प्रतिशत से घटकर 35.11 प्रतिशत रह गयी हैं। जो प्रकटतः अविधिक एवं असंवैधानिक होने के साथ-साथ न्यायपालिका की अवमानना भी है।
- (3) वर्ष 2018 में राजस्थान राज्य की कुल 1703 सीटों में से सरकारी एवं सोसायटी कॉलेजों में अनारक्षित मेधावी बच्चों के लिए 637 फी सीट्स रखी गयी थीं। चालू वर्ष 2019 में 507 सीटें बढ़ाये जाने के बावजूद राज्य की 2210 सीटों में से अनारक्षित मेधावी बच्चों की सीटें केवल 625 रह गयी हैं जो पिछले वर्ष के मुकाबले 12 कम हैं। यह तथ्य पूरी तरह अविधिक, असंवैधानिक एवं अवमाननाकारक होने के साथ-साथ दुर्भाग्यपूर्ण भी है।
- (4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अशोक कुमार ठाकुर के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री तक पढ़ाई करने के बाद व्यक्ति शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं रहता है इसलिए उसे तथा उसके बच्चों को अनुच्छेद 15(4) के अधिन आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इसी तथा उसके बच्चों को अनुच्छेद 15(4) के अधिन आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अनारक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग की कट् ऑफ में 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं रहना चाहिये। इन न्यायिक निर्देशों की NEET-2019 में काउन्सलिंग में राजस्थान राज्य में खुली अवहेलना की जा रही है।

(लगातार —— 2)



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-३, संगम रेजीडेंसी, प्लाट नं. ९-१०, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in

Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन

संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

श्री इकराम राजस्थानी

सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा

अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौराड़िया

महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण

कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

**प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-**

जयपुर

ऋषिराज राठौड़

मो. 9694348039

अजमेर

एन. के.झामड़

मो. 9414008416

बीकानेर

वाई. के. योगी

मो. 9414139621

भरतपुर

हेमराज गोयल

मो. 9460926850

जोधपुर

प्रहलाद सिंह राठौड़

मो. 9414085447

कोटा

डॉ. अनिल शर्मा

मो. 9414662244

उदयपुर

दूल्हा सिंह चूण्डावत

मो. 9571875488

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह

संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा

संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

क्रमांक

दिनांक :


(२)

- (5) यह भी सर्वविदित तथ्य है कि NRI के लिए आरक्षित 212 सीटें असंवैधानिक हैं। दिनांक 15.08.2018 से ओबीसी का आरक्षण 102वें संविधान संशोधन के पश्चात पूरे देश में बन्द है। अतः NEET-2019 में राजस्थान राज्य में ओबीसी एवं एमबीसी को दिया गया 21 एवं 05 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक है। इस समय राज्य में एससी को दिया गया 16 प्रतिशत आरक्षण, एसटी को दिया गया 12 प्रतिशत आरक्षण एवं ईडब्ल्यूएस को दिया गया 10 प्रतिशत आरक्षण अर्थात् कुल 38 प्रतिशत आरक्षण ही संवैधानिक है।

अतः कृपया NEET-2019 राजस्थान राज्य की काउन्सिलिंग को दूबारा आयोजित करते हुये केवल 38 प्रतिशत आरक्षित सीटों एवं 62 प्रतिशत अनारक्षित सीटों के लिए ही सम्पन्न कराया जावे। यदि आप इसमें असफल रहते हैं तो हमें मजबूर होकर न्यायपालिका की शरण में जाना होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

सादर,

भवदीय


पाराशर नारायण